

22-1-19

पत्रावली पेश हुयी वाकी एवं वादी वकील के
अनु-२ कर बार-२ अंकाज लगाई गयी।
वाकी एवं उनके वकील उपस्थित नहीं हैं।
अतः वाद वादी अनु-१ दाजरी व अनु-२
पंखी के खारिज सिद्ध जा रहा है पत्रावली
अनु-३ देकर अनु-४ व अनु-५
नुमा दफ्तर दाखिल है।

OX